



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक:- एफ 7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2024-03395/

दिनांक:-

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- प्रवेश नीति सत्र 2024-25 में संशोधन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश -

2.3.1 अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2.3.2 अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम मूक-बधिर,दृष्टिहीन अभ्यर्थियों व महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।

प्रवेश नीति के उक्त बिन्दु संख्या 2.3 को सत्र 2024-25 से विलोपित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पुखराज सेन)

आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. कुलसचिव, समस्त राज्य वित्तपोषित/निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड करने हेतु।

(पुखराज सेन)

आयुक्त

Signature valid



Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.07.08 15:13:09 IST
Reason: Approved

RajKa Ref
8718491